फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री दोला | **विपक्षी : श्री मथरालाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 107/19**

जीसीएमएस : 2019/00410

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी द्वारा धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त भूमि मौजा मठ चोरगियान पटवार हल्का वारणी तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 की खाता संख्या 15 पर दर्ज आराजी नम्बर 15, 18, 19, 26, 27, 52, 53, 54, 55 किता 9 कुल रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खाता संख्या 16 पर दर्ज आराजी नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खाता संख्या 21 पर दर्ज आराजी नम्बर 51 रकबा 9 बिस्वा एवं खाता संख्या 37 पर दर्ज आराजी नम्बर 134/16, 135/16 किता 2 कुल रकबा 19 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति होना बताकर मृतक खातेदार वरदा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम हिस्सेनुसार दर्ज करवाना चाहता हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:39:30 IST
Reason: SelfAttested

संतुलन का बिन्दू उभय पक्षकारान के पक्ष में प्रतीत होता हैं। खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो इससे उनके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा विपक्षी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:39:30 IST
Reason: SelfAttested